छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 252/2006

श्री हरीश कुमार,
एम. आई. जी. स्टेण्डर्ड–**II**,
लक्ष्मी निवास शिवघाट, सरकंडा,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 15 मई 2007)

श्री हरीश कुमार के द्वारा जन सूचना अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 20–06–2006 देकर 29 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 28–07–2006 के द्वारा प्रत्येक बिन्दुवार जानकारी दी गई। जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील पर कार्यवाही न करने के फलस्वरूप द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौखिक तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई एवं भ्रामक दी गई। उसने यह भी बतलाया कि उसके विरूद्ध कायम की गई विभागीय जांच का सहारा लेकर जानकारी नहीं दी गई है, बिन्दु क्रमांक–4 में उल्लेखित पत्र दिनांक 6–6–2005 अप्राप्त है, बी.डी. तिवारी कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी गई, बिन्दु क्रमांक–6 की पूरी जानकारी नहीं दी गई, बिन्दु क्रमांक–1, 8 एवं 18 कार्य–परिषद् के निर्णय के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई। उसने यह भी बतलाया कि वर्ष 2005 में एम.बी.ए. के लिये गठित परिणाम समिति में वह भी एक सदस्य था, छात्र पार्थो सारथी मुखर्जी के परीक्षा परिणाम की समिति की अनुशंसा की प्रति नहीं दी गई। प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि अनेक बार सूचना देने के पश्चात् भी अपीलार्थी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुये, अतः समिति की बैठक नहीं हुई। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न अभिलेखों की 119 पृष्ठों की जानकारी दी गई है, किन्तु अपीलार्थी कभी भी दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं होते हैं, जबकि अपीलार्थी स्वयं मांगी गई जानकारी से संबंधित समितियों में रहे हैं। कुमारी सुमित्रा देवी के प्रवेश से पहले बनी योग्यता सूची तथा प्रवेश संबंधी

अनुशंसा विभाग में उपलब्ध होना नहीं पाया गया। गणना संबंधी प्रपत्रों की जानकारी अपीलार्थी को दे दी गई है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि मांगे गये बिन्दुओं से संबंधित नियमों की जानकारी भी आवेदक को समय–समय पर दी जा चुकी है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि अपीलार्थी विगत अनेक वर्षों की जानकारियाँ चाह रहा है। प्रतिअपीलार्थी ने अपने मौखिक तर्कों में यह स्पष्ट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उसके द्वारा मांगी गई जानकारी के अनेक बिन्दुओं के संबंध में विभागीय जांच आरोपित की गई है, यह बिन्दु जांच से संबंधित हैं तथा जांच के पश्चात् ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

3/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी गई है। यह अवश्य है कि आवेदन पत्र दिनांक 20–06–2006 के द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित अवधि के पश्चात् 28–07–2006 के पत्र द्वारा दी गई है। यह विलम्ब सद्भावपूर्वक हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदक को सूचित किया गया है। आवेदक के द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी को बिन्दुवार तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है तथा यह विलम्ब जानबूझकर अथवा जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–1, 8 एवं 18 के कार्य–परिषद् की जानकारी पूर्ण रूप से दिया जाना स्पष्ट नहीं होता है, अतः कार्य–परिषद् के द्वारा बैठकों में लिये गये निर्णयों का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे एवं उसमें से जिन संबंधित निर्णयों की प्रति चाहें उनका शुल्क 03 दिन में जमा कराया जाकर 15 दिन में प्रतियां प्रदान की जावें। जैसा कि सुनवाई के समय निर्देश दिये गये थे कि 29 बिन्दुओं की काफी विस्तृत जानकारी माँगी गई है तथा आवेदक पर्याप्त जानकारी देने पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के दिनांक 27–04–2007 के पत्र अनुसार शेष बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकारी अपीलार्थी को एक बार अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे संबंधित जितनी शेष जानकारियाँ हैं उन पर चर्चा कर लें तथा उनसे संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करा दें तथा बाद में शुल्क जमा होने पर चाही गई स्पष्ट रूप से पूर्ण जानकारी 15 दिन में प्रदान करें।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त